बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

।। आदेश ।।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री शैलेन्द्र कुमार, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, मंझौलिया, प0 चम्पारण, बेतिया के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक–1096 दिनांक–06.06.2023 द्वारा निगरानी थाना काण्ड संख्या–20 / 2023 दिनांक–30.05.2023, धारा–7(a) भ्र0नि0अधि0, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) दर्ज किये जाने एवं गठित धावा–दल द्वारा दिनांक–31.05.2023 को परिवादी श्री अजीत ओझा से 55,000 / – रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने संबंधी उपलब्ध करायी गयी सूचना के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–2611 दिनांक–15.06.2023 द्वारा श्री कुमार को निलंबित किया गया। उक्त के क्रम में जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया के पत्रांक–650 दिनांक–20.10.2023 द्वारा उपर्युक्त आरोपों के लिए विभाग को उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में प्रतिवेदित आरोप की सम्यक् जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–17 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–4889 दिनांक–06.11.2023 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए उप निदेशक (खाद्य), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी ने अपने पत्रांक–32 दिनांक–22.02.2025 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध संचालित प्रस्तुत विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन / अधिगम विभाग को समर्पित करते हुए अपने मंतव्य में मुख्य रूप से प्रतिवेदित किया है कि श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप के संदर्भ में उनसे लिखित बचाव बयान की माँग की गई। तद्‌लोक में समर्पित अभ्यावेदन के माध्यम से लिखित बचाव बयान समर्पित करने के पूर्व उनके द्वारा कतिपय कागजात की माँग की गई। श्री कुमार को याचित कागजात उपलब्ध करा दिये जाने के बावजूद अपने बचाव / समर्थन में कोई लिखित प्रतिउत्तर संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित नहीं किया गया, बल्कि पुनः पूर्व में याचित उन्हीं कागजातों को उपलब्ध कराने हेतु बार–बार अभ्यावेदन समर्पित किया जाता रहा। इस क्रम में श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप के संदर्भ में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य के आलोक में लिखित बचाव बयान समर्पित करने हेतु उन्हें निदेशित किया गया, परन्तु बचाव बयान समर्पित न कर आधारहीन बातों का उल्लेख कर असहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए बार–बार एक ही पत्र / कागजात की माँग कर प्रस्तुत विभागीय कार्यवाही को जान–बूझकर विलंबित किये जाने का प्रयास किया गया। श्री कुमार द्वारा यह कहा जाना कि परिवादी श्री अजित ओझा का इनके स्तर पर कोई कार्य लंबित नहीं था तथा मेरे द्वारा रिश्वत की माँग नहीं की गयी थी, स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि परिवादी श्री अजित ओझा जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पुत्र हैं तथा उनके पिता के जन वितरण प्रणाली दुकान की जाँच दिनांक–05.04.2023 को श्री कुमार द्वारा किया गया तथा जाँच के क्रम में दुकान बन्द पाये जाने का प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। इसलिए इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता को स्पष्टीकरण से मुक्त करने हेतु उनके द्वारा रिश्वत की माँग की गयी तथा इस क्रम में परिवादी से 55,000 / – रूपये रिश्वत लेते निगरानी धावा–दल द्वारा इन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार करते हुए कारा–निरोध किया गया, जिसका साक्ष्य उनके विरूद्ध दर्ज निगरानी थाना काण्ड है। श्री कुमार का उक्त कृत्य भ्रष्ट आचरण तथा निजी लाभ हेतु अपने पद का दुरूपयोग का परिचायक है, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के सर्वथा प्रतिकूल है। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्री कुमार से द्वितीय कारणपृच्छा / लिखित बचाव बयान की माँग किये जाने हेतु निदेशित किया गया। तद्‌लोक में विभागीय पत्रांक–225380 दिनांक–04.04.2025 द्वारा श्री कुमार से लिखित बचाव बयान की माँग की गयी।

इस क्रम में श्री कुमार द्वारा दिनांक–02.05.2025 को समर्पित लिखित अभिकथन / बचाव बयान में स्वयं के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप का खंडन करते हुए मुख्य रूप से अंकित किया है कि विभागीय कार्यवाही के दौरान वे प्रत्येक तिथि को उपस्थित रहे हैं तथा विभागीय कार्यवाही को विलंबित करने का प्रयास उनके द्वारा नहीं किया गया है। विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में गवाहों का परीक्षण और प्रतिपरीक्षण तथा दस्तावेजों का गवाहों से प्रमाणित कराये बगैर संचालन पदाधिकारी और प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी ने अपना जाँच प्रतिवेदन / मंतव्य समर्पित कर दिया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में यह अंकित किया जाना कि निर्णय विभाग के स्तर से अपेक्षित है, से यह स्पष्ट होता है कि संचालन पदाधिकारी न आरोप को प्रमाणित कर पाये हैं और न ही अप्रमाणित। श्री कुमार का यह भी कहना है कि परिवादी श्री अजीत ओझा के पिता अर्जुन ओझा द्वारा परिवाद को फर्जी बताया गया है। इसके अतिरिक्त रिश्वत की राशि 55,000 / – की छायाप्रति को साक्ष्य के रूप में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि न्यायालय भी रिश्वत की राशि को देखे बगैर आरोप प्रमाणित नहीं करती है। उक्त सम्पूर्ण घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में श्री कुमार द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–5840 दिनांक–18.06.2020 का हवाला देते हुए अंकित किया है कि विभागीय कार्यवाही में आपराधिक कार्यवाही से संबंधित अभिलेखों को आरोप पत्र का आधार नहीं बनाना है। दण्ड देना या नहीं देना पूरी तरह न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करता है।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा का जवाब / लिखित बचाव बयान की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर से की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि एक ओर श्री कुमार का यह कहना कि विभागीय कार्यवाही के दौरान वे प्रत्येक तिथि को उपस्थित रहे हैं तथा विभागीय कार्यवाही को विलंबित करने का प्रयास उनके द्वारा नहीं किया गया है, वहीं दूसरी ओर संचालन पदाधिकारी के मंतव्य में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने बचाव के समर्थन में लिखित प्रतिउत्तर समर्पित नहीं कर पुनः उन्हीं कागजातों की माँग बार–बार की गयी, जो उन्हें पूर्व में उपलब्ध करा दिया गया था। साक्ष्यों के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि लिखित बचाव पक्ष / बयान प्रस्तुत करने में टाल–मटोल कर बार–बार एक ही पत्र / कागजातों की माँग किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित करता है कि उनके द्वारा जान–बूझकर विभागीय कार्यवाही को विलंबित करने का प्रयास किया गया है। जहाँ तक गवाहों का परीक्षण और प्रतिपरीक्षण किये जाने का प्रश्न है, इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि संचालित विभागीय कार्यवाही में श्री कुमार को नैसर्गिक न्याय के तहत अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया, परन्तु विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में श्री कुमार द्वारा अपने पक्ष में गवाहों का परीक्षण / प्रतिपरीक्षण अथवा अभियोजन पक्ष के गवाहों का परीक्षण / प्रतिपरीक्षण की माँग नहीं की गयी, अपितु उनके द्वारा स्वतंत्र गवाहों के बयान की माँग की गयी। विदित हो कि निगरानी विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–15363 दिनांक–05.12.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि स्वतंत्र गवाह नहीं होते हैं। उक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि निगरानी धावा दल द्वारा की गई कार्रवाई के उपरान्त तैयार पोस्ट ट्रैप मेमोरेंडम जो मुख्य रूप से सम्पूर्ण घटनाक्रम की विवरणी / बयान है, पर गवाहों का हस्ताक्षर अंकित है, जिसकी प्रति आरोपित पदाधिकारी को हस्तगत करायी गयी है। श्री कुमार द्वारा स्वयं के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को अस्वीकार करते हुए न्यायालय का फैसला आने तक विभागीय कार्यवाही को स्थगित रखने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना के पत्रांक–2324 दिनांक–10.07.2007 में आपराधिक कदाचार में लिप्त सरकारी सेवकों के विरूद्ध आपराधिक कार्रवाई के साथ–साथ विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किये जाने के संबंध में अंकित है कि ".....माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य बनाम बी0 के0 मीणा मामले में दिनांक–27.09.96 को पारित आदेश [AIR 1997 Supreme Court 13] के अनुसार समान आरोपों पर आपराधिक कार्यवाही के साथ–साथ विभागीय कार्यवाही चलायी जा सकती है। अतः राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जब भी किसी पदाधिकारी / कर्मचारी पर आपराधिक कदाचारों में लिप्त होने के कारण भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम एवं भारतीय दंड विधान के तहत फौजदारी मुकदमा किया जाय तो साथ ही साथ समुचित तथ्यों पर आधारित आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही भी प्रारंभ की जाय।" निगरानी विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2717 दिनांक–07.05.2010 में भी स्पष्ट किया गया है कि "भ्रष्टाचार या आपराधिक कदाचार में लिप्त सरकारी सेवकों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार

निरोध अधिनियम तथा भा0द0वि0 की धाराओं के तहत अपराध सिद्ध हो जाने के बाद सजा प्रदान करने संबंधी निर्णय नियमानुसार लिया जायेगा, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि सरकारी सेवकों को सेवा संहिता तथा सरकारी सेवा आचार नियमावली के प्रावधानों के तहत दंडित करने की कार्रवाई सरकार के द्वारा ही अंततः की जानी है। भ्रष्टाचार एवं कदाचार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विभागीय कार्यवाही का समयबद्ध संचालन आवश्यक है, ताकि दोषी सरकारी सेवक को त्वरित सजा दी जा सके, जिससे ऐसे कृत्यों के प्रति दूसरे सरकारी सेवकों में यह भाव पैदा हो कि आपराधिक कदाचार में लिप्त पाये जाने पर उन्हें न्यायालय द्वारा सजा दिए जाने में भले विलंब हो, सरकार के स्तर पर उन्हें तत्काल सजा मिलेगी। यह विभागीय कार्यवाही स्वतंत्र रूप से चलाई जानी है तथा इसका आपराधिक कार्यवाही में सजा होने अथवा सजा मुक्ति से कोई संबंध नहीं होगा। यदि सरकारी सेवक आपराधिक कार्यवाही में सजा से मुक्त भी हो गया हो तो भी विभागीय कार्यवाही में दोष सिद्ध होने पर सजा दी जा सकेगी या सजा कायम रखी जा सकेगी।" सम्पूर्ण घटनाक्रम एवं साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक–05.04.2023 को श्री कुमार द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता (अनुज्ञप्ति संख्या–01 / 2018) के दुकान की जाँच पूर्वाह्न 11:45 बजे की गई। जाँचोपरान्त समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में विक्रेता से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। विक्रेता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण का हवाला देते हुए श्री कुमार ने विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द नहीं करने के एवज में अवैध राशि की माँग की गयी, जिसकी पुष्टि निगरानी धावा दल द्वारा की गई कार्रवाई (सत्यापन प्रतिवेदन, प्री ट्रैप मेमोरेंडम एवं पोस्ट ट्रैप मेमोरेंडम) तथा श्री कुमार को 55,000 / – रूपये के साथ घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने से होती है। फलतः श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा का जवाब / लिखित बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं है तथा इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित होता है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री शैलेन्द्र कुमार, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, मंझौलिया, प0 चम्पारण, बेतिया सम्प्रति निलंबित (निलंबन अवधि में मुख्यालय–प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर) के विरूद्ध प्रमाणित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–14(XI) के तहत "सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी" का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

श्री कुमार को निलंबन अवधि का अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

23/06/2025
(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(प0 चम्पारण)–08 / 2023(खंड)– 1158 खाद्य, पटना / दिनांक– 23/06/2025
प्रतिलिपि–मुख्य सचिव, बिहार, पटना / सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, बिहार, पटना / महालेखाकार, बिहार, पटना / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना / विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / उप निदेशक (खाद्य), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर–सह–संचालन पदाधिकारी / जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया–सह–साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी / सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी / सभी अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार / प्रशाखा पदाधिकारी–01, 03 एवं 05 / आई0 टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री शैलेन्द्र कुमार, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, मंझौलिया, प0 चम्पारण, बेतिया, मोबाइल संख्या–9473192044, E-Mail ID : shailendra414@gmail.com (मुख्यालय–प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/06/2025
प्रधान सचिव ।